

Date of order or proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Order

04
03/17

आवेदक (दाताराम बंसल) द्वारा
प्रमाण अमिलेख प्राप्त हेतु निम्न
मात्रा-नाजिर रिपोर्ट से आवेदन बीमा
अमिलेख किताब में अमिलेख तलब
करी, तलब है।
प्रमाण अमिलेख प्राप्त हेतु दि-10-04-17
को पेश है।

मोहम्मद अज़हर

राजस्थान
वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

04
10/17

आवेदक (दाताराम बंसल) द्वारा
प्रमाण अमिलेख प्राप्त हेतु निम्न
अमिलेख (नाजिर रिपोर्ट) से अमिलेख
तलब करी, पुनः तलब है।
प्रमाण अमिलेख प्राप्त हेतु दि-22-04-17
को पेश है।

मोहम्मद अज़हर

वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

04
22/17

आवेदक शेर सिंह सहित श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता
उपस्थित।

प्रकरण मूल अभिलेख की प्राप्ति हेतु नियत।

अभिलेखागार भिण्ड से मूल अभिलेख न्यायालय (पी0सी0
आर्य) ॥ एमएसीसी गोहद के प्र0क0- 18/15 क्लेम शेर सिंह आदि बनाम
दयाल सिंह आदि निर्णय दिनांक 19-12-16 प्राप्त हुआ। जो संलग्न
अभिलेख किया।

अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का
अवलोकन किया।

अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार
किया गया।

प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 19-12-16
के पालन में अनावेदक कं- 3 बीमा कम्पनी द्वारा आवेदक शेर सिंह को
8470/- (छै हजार चार सौ सत्तर) रुपये एवं अनावेदिक श्रीमती सुनाती
को 85422/- (पचासी हजार चार सौ बाईस) रुपये मय ब्याज के जरिये
चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं-04/17
दिनांक 15-02-17 को नजारात अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारात

अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 16-02-17 पर जमा होकर शेष है।

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. 08/17 of 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण अधि-निर्णय दिनांक 19-12-18 को निराकृत हुआ। अवार्ड पारित करते हुए आवेदक शेर सिंह को 5925/- (पांच हजार नौ सौ पच्चीस) रुपये एवं अनावेदिक सुनाती को 78,038/- (अठत्तर हजार अड़तीस) रुपये क्षतिपूर्ति राशि के साथ आवेदन प्रस्तुति दिनांक 29-08-15 से पूर्व अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित बीमा कम्पनी द्वारा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण भुगतान की जावे।</p> <p>चूँकि आवेदक शेर सिंह द्वारा अवार्ड राशि के भुगतान वास्तविक प्रथक से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जो वाद विचार न्यायहित में स्वीकार कर आवेदक के हिस्से के क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के 6470/- (छै हजार चार सौ सत्तर) रुपये का आदेशानुसार बाउचर तैयार कर राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।</p> <p>अतः आदेश के पालन में आवेदक शेर सिंह पुत्र राम खिलाडी निवासी वार्ड नं.- 16 गांधी नगर गोहद जिला मिण्ड म.प्र. को उसके हिस्से के अवार्ड राशि 6470/- (छै हजार चार सौ सत्तर) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। आदेशानुसार आवेदक के उपस्थित होने पर का रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।</p> <p>मूल अभिलेख में आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न अभिलेखागार मिण्ड भेजा जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार मिण्ड भेजा जावे।</p> <p>मोहम्मद अजहर सदस्य हि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p>	<p>6470/- का बाउचर शेर सिंह अजहर</p>